

कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुक अधिनियम-1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेडवार्डज निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Name of Trade	Total No. of Vacancies
1.	MMV	13
2.	Diesel Mechanic	12
3.	Welder	01
4.	Electrician	10
5.	Carpenter	03
6.	Copa	01
7.	Painter (General)	02
8.	Turner	01

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट (apprenticeshipindia.org) पर दिनांक 01.03.2024 से 12.03.2024 सांय 5:00 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी. (केवल पैन कार्ड, डी.एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण-पत्र व आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण-पत्र (With marks) ही अपलोड करें। कृपया अपनी शिक्षता प्राफाईल को 100 प्रतिशत पूर्ण करें अन्यथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किए गए फार्मों को ही इस कार्यालय द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01.03.2024 से पहले व दिनांक 12.03.2024 सांय 5:00 बजे के बाद ऑनलाईन अप्लाई किया जाएगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर लें कि उस द्वारा पूर्व में किसी भी व्यवसाय (ट्रेड) में शिक्षुता ग्रहण नहीं की हो। उम्मीदवार को कार्यालय के कोई हार्डकॉपी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। सफल शिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

कृते: महाप्रबन्धक
हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा